



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 13, 2019/माघ 24, 1940

No. 92] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2019/MAGHA 24, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 108(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (झ), खंड (ञ), खंड (जज), खंड (जजज) और खंड (ट) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) में,—

(i) खंड (ककक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘(ककक) “आधार संख्या” का वही अर्थ होगा, जो उसका आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 2 के खंड (क) में है;’

(ii) खंड (ककग) और खंड (ककघ) का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (घ) में,—

(क) “चालन अनुज्ञप्ति” शब्दों के पश्चात् “आधार संख्यांक होने का सबूत” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह भी कि जहां ग्राहक आधार संख्यांक का सबूत शासकीय रूप से वैध दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करता है, वह उसे ऐसे रूप में प्रस्तुत कर सकेगा, जिसमें उसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है ;”।

3. उक्त नियमों के नियम 9 में,--

(i) उपनियम (4) में,--

(क) “जो आधार संख्या के लिए नामांकित किए जाने के लिए पात्र है” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(क) आधार संख्या, जहां वह आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के अधीन अधिसूचित किसी स्कीम के अधीन कोई फायदा या सहायिकी प्राप्त करने की वांछा रखता है या अन्य मामलों में अन्य शासकीय रूप से वैध दस्तावेज, जिनमें उसकी पहचान और पते के ब्यौरे तथा एक नवीनतम फोटो अंतर्विष्ट हो ; और” ;

(ग) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपनियम (4क) का लोप किया जाएगा ;

(iii) उपनियम (5) में,--

(क) प्रारंभिक भाग में : “और 4(क)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर का लोप किया जाएगा ;

(ख) हिंदी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

(ग) खंड (iv) में,--

(अ) “ग्राहक की आधार संख्या” से प्रारंभ होने वाले “और साबित की जाएगी” शब्दों पर समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर “यथास्थिति, स्थायी लेखा संख्यांक या प्ररूप सं. 60” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(आ) परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(घ) खंड (v) में,--

(अ) “ग्राहक की आधार संख्या” से प्रारंभ होने वाले “और साबित नहीं कर दिया जाता है” शब्दों पर समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर “यथास्थिति, स्थायी लेखा संख्यांक या प्ररूप सं. 60” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(आ) परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(iv) उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(6) जहां ग्राहक कोई कंपनी है, वह उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करेगी, अर्थात् :--

(i) निगमन प्रमाणपत्र ;

(ii) संगम अनुच्छेद ज्ञापन ;

(iii) कंपनी का स्थायी लेखा संख्यांक ;

(iv) निदेशक बोर्ड से एक संकल्प तथा उसके निमित्त संव्यवहार करने के लिए, यथास्थिति, उसके प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को अनुदत्त मुख्तारनामा ;

(v) शासकीय रूप से वैध दस्तावेज की एक प्रति, जिसमें, यथास्थिति, प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों की पहचान के ब्यौरे और पता, एक नवीनतम फोटो और स्थायी लेखा संख्यांक या प्ररूप सं. 60 अंतर्विष्ट हो, जो कंपनी के निमित्त संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा रखते हों ।” ;

(v) उपनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(7) जहां ग्राहक कोई भागीदारी फर्म है, वह उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करेगी, अर्थात् :-

(i) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ;

(ii) भागीदारी विलेख ;

(iii) भागीदारी फर्म का स्थायी लेखा संख्यांक ; और

(iv) शासकीय रूप से वैध दस्तावेज की एक प्रति, जिसमें उसके निमित्त संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा धारण करने वाले व्यक्ति के पहचान के ब्यौरे और पता, एक नवीनतम फोटो और स्थायी लेखा संख्यांक अंतर्विष्ट या प्ररूप सं. 60 हो।";

(vi) उपनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(8) जहां ग्राहक कोई न्यास है, वह उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :-

(i) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ;

(ii) न्यास विलेख ;

(iii) न्यास का स्थायी लेखा संख्यांक या प्ररूप सं. 60 ; और

(iv) शासकीय रूप से वैध दस्तावेज की एक प्रति, जिसमें उसके निमित्त संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा धारण करने वाले व्यक्ति के पहचान के ब्यौरे और पता, एक नवीनतम फोटो और स्थायी लेखा संख्यांक अंतर्विष्ट या प्ररूप सं. 60 हो।"; "

(vii) उपनियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(9) जहां ग्राहक कोई अनिगमित संगम या व्यष्टि अस्तित्व है, वह रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :-

(i) ऐसे संगम या व्यष्टि अस्तित्व के प्रबंध अस्तित्व का संकल्प ;

(ii) अनिगमित अस्तित्व या व्यष्टि अस्तित्व का स्थायी लेखा संख्यांक या प्ररूप सं. 60 ;

(iii) उसे संव्यवहार करने के लिए इस निमित्त अनुदत्त मुख्तारनामा ;

(iv) शासकीय रूप से वैध दस्तावेज की एक प्रति, जिसमें उसके निमित्त संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा धारण करने वाले व्यक्ति के पहचान के ब्यौरे और पता, एक नवीनतम फोटो और स्थायी लेखा संख्यांक अंतर्विष्ट या प्ररूप सं. 60 हो ;

(v) ऐसी सूचना, जो रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व द्वारा ऐसे संगम या व्यष्टि अस्तित्व के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए अपेक्षित हो।"; "

(viii) उपनियम (14) में,--

(i) खंड (i) में, 'और उपनियम (15)' शब्दों, अकों और कोष्ठक के स्थान पर 'उपनियम (15) और उपनियम (17)' शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(i) खंड (i) के अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में निम्नलिखित समुचित सम्मिलित होंगे—

(अ) झूट, परिसीमाएं और शर्तें तथा पहचान के वैकल्पिक और साध्य साधन ताकि ग्राहकों को, जो चोट या बिमारी या बूढापे के कारण अक्षमता या अन्यथा और ऐसी ही कारणों से जैविक अधिप्रमाणन करवाने में असमर्थ हैं, खाता आधारित सेवाओं का उपबंध किया जा सके ; और

(आ) उन ग्राहकों के खातों के संचल प्रचालन में शिथिलता, जो जो चोट या बिमारी या बूढापे के कारण अक्षमता या अन्यथा और ऐसी ही कारणों से स्थायी लेखा संख्यांक या प्ररूप 60 उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं।";

(iii) खंड (ii) में, 'और उपनियम (15)' शब्दों, अकों और कोष्ठक के स्थान पर 'उपनियम (15) और उपनियम (17)' शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ix) उपनियम (15) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(15) कोई रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंककारी अनुज्ञप्ति जारी की गई है, अपने ग्राहक से आधार संख्यांक की प्राप्ति पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करते हुए ग्राहक की इस घोषणा की प्राप्ति पर की वह अपने खाते में आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, परिसुविधाओं और अन्य सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के अधीन अधिसूचित किसी स्कीम के फायदे या सहायिकी का लाभ लेने की वांछा रखता है, ग्राहक के आधार संख्यांक को अधिप्रमाणित करेगा :

परंतु उन मामलों में, जहां ई-केवाईसी सुविधा का उपयोग करते हुए आधार संख्यांक का सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन किया गया है, अन्य शासकीय रूप से वैध दस्तावेज और फोटो को ग्राहक द्वारा प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं है।";

(x) उपनियम (16) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(16) प्रत्येक रिपोर्टिंग अस्तित्व, जहां उसका ग्राहक अपना आधार संख्यांक प्रस्तुत करता है यह सुनिश्चित करेगा कि उसका ग्राहक, जहां उपनियम (15) के अधीन आधार संख्यांक का अधिप्रमाणन अपेक्षित नहीं है, वहां उपयुक्त उपायों के माध्यम से आधार संख्या को संपादित या ब्लैक आउट कर सके।";

(xi) उपनियम (17) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(17) (i) ऐसा कोई ग्राहक, जिसकी पहले से ही किसी रिपोर्टिंग अस्तित्व के साथ खाता आधारित नातेदारी है, उस तारीख को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अपना स्थायी खाता संख्यांक या प्ररूप सं. 60 प्रस्तुत करेगा, इसमें असफल रहने पर उसका खाता अस्थायी रूप से उस समय तक कार्यरत नहीं रहेगा जब तक कि ग्राहक द्वारा स्थायी खाता संख्यांक या प्ररूप सं. 60 प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है :

परंतु किसी खाते के प्रचालन को अस्थायी रूप से बंद करने से पूर्व रिपोर्टिंग अस्तित्व ग्राहक को एक पहुंच योग्य सूचना देगा और सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए किसी खाते के संबंध में "प्रचालनों को अस्थायी रूप से बंद किए जाने" से रिपोर्टिंग अस्तित्व द्वारा उस खाते के संबंध में सभी संव्यवहारों या क्रियालापों को उस समय तक अस्थायी रूप से निलंबित रूप से किया जाना अभिप्रेत है जब तक कि ग्राहक इस खंड के उपबंधों का अनुपालन न कर दे ;

(ii) यदि रिपोर्टिंग अस्तित्व के साथ विद्यमान खाता आधारित नातेदारी रखने वाला कोई ग्राहक लिखित में रिपोर्टिंग अस्तित्व को यह सूचना देता है कि वह अपना, यथास्थिति, स्थायी खाता संख्यांक या प्ररूप सं. 60 प्रस्तुत नहीं करना चाहता है तो रिपोर्टिंग अस्तित्व के पास ग्राहक के खाते को बंद कर दिया जाएगा और उस खाते से संबंधित सभी शोध्य बाध्यताओं का, विनियामक द्वारा यथा अवधारित रीति में ग्राहक की पहचान स्थापित करने के पश्चात् समाधान किया जाएगा।";

(xii) उपनियम (18) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(18) उस दशा में, जहां ग्राहक द्वारा प्रस्तुत शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेजों में उसका अद्यतन पता अंतर्विष्ट नहीं है, वहां निम्नलिखित दस्तावेजों को पते के सबूत के सीमित प्रयोजन के लिए शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज समझा जाएगा :--

(क) किसी सेवा प्रदाता (विद्युत, टेलीफोन, पोस्ट पैड मोबाइल फोन, पाइपंड गैस, जल का बीजक) की किसी उपयोगिता का बीजक, जो दो मास से पुराना न हो ;

(ख) संपत्ति या नगरपालिक कर की रसीद ;

(ग) सरकारी विभागों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा उनके सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी पेंशन या कुटुंब पेंशन संदाय आदेश (पीपीओ), यदि उनमें पता अंतर्विष्ट हो ;

(घ) राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के विभागों, कानूनी या विनियामक निकायों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा

उनके कर्मचारियों को जारी आवास आबंटन पत्र और ऐसे कर्मचारियों को शासकीय आवास आबंटित करते समय उनके साथ किए गए पट्टाधृति और अनुज्ञप्ति करार :

परंतु यह कि ग्राहक उपरोक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के तीन मास की अवधि के भीतर वर्तमान पते से संबंधित अद्यतन शासकीय विधिमान्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. पी.12011/24/2017-ईएस सेल-डीओआर]

विप्लव कुमार नस्कर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 444(अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 717(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2005, सा.का.नि. सं. 389(अ), तारीख 24 मई, 2007, सा.का.नि. सं. 816(अ), तारीख 12 नवंबर, 2009, सा.का.नि. सं. 76(अ), तारीख 12 फरवरी, 2010, सा.का.नि. सं. 508(अ), तारीख 16 जून, 2010, सा.का.नि. सं. 980(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. सं. 481(अ), तारीख 24 जून, 2011, सा.का.नि. सं. 576(अ), तारीख 27 अगस्त 2013, सा.का.नि. सं. 288(अ), तारीख 15 अप्रैल, 2015, सा.का.नि. सं. 544(अ), तारीख 7 जुलाई, 2015, सा.का.नि. सं. 693(अ), तारीख 11 सितम्बर, 2015, सा.का.नि. सं. 730(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2015, सा.का.नि. सं. 882(अ), तारीख 18 नवम्बर, 2015, सा.का.नि. सं. 347(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2017, सा.का.नि. सं. 538(अ), तारीख 1 जून, 2017, सा.का.नि. सं. 1038(अ), तारीख 21 अगस्त, 2017, सा.का.नि. सं. 1057(अ), तारीख 23 अगस्त, 2017, सा.का.नि. सं. 1300(अ), तारीख 16 अक्तूबर, 2017, सा.का.नि. सं. 1318(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017, सा.का.नि. सं. 1506(अ), तारीख 12 दिसम्बर, 2017, सा.का.नि. 456(अ), तारीख 16 मई, 2018 और सा.का.नि. सं. 1078(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2018 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2019

G.S.R. 108(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clauses (i), (j), (jj), (jjj) and (k) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Amendment Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1),-
 - (i) for clause (aaa), the following clause shall be substituted, namely:-
‘(aaa) “Aadhaar number” shall have the meaning assigned to it in clause (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016);’
 - (ii) clauses (aac) and (aad) shall be omitted;
 - (iii) in clause (d),
 - (a) after the words “driving licence,”, the words “proof of possession of Aadhaar number” shall be inserted;
 - (b) after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-
“Provided also that where the client submits his proof of possession of Aadhaar number as an officially valid document, he may submit it in such form as are issued by the Unique Identification Authority of India;”.

3. In rule 9 of the said rules,-
- (i) in sub-rule (4),-
- (a) the words “who is eligible to be enrolled for an Aadhaar number,” shall be omitted;
- (b) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-
- “(a) the Aadhaar number where he is desirous of receiving any benefit or subsidy under any scheme notified under section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), or a copy of any other officially valid document in other cases containing details of his identity and address, and one recent photograph; and”;
- (c) the first proviso shall be omitted;
- (ii) sub-rule (4A) shall be omitted;
- (iii) in sub-rule (5),-
- (a) in the opening portion, the word, number and brackets “and 4(A)” shall be omitted;
- (b) in clause (i), for the word “thump”, the word “thumb” shall be substituted;
- (c) in clause (iv),-
- (A) for the portion starting with the words “the Aadhaar” and ending with “valid document”, the words and number “Permanent Account Number or Form No.60, as the case may be” shall be substituted;
- (B) the proviso shall be omitted;
- (d) in clause (v),-
- (A) for the portion starting with the words “the Aadhaar number” and ending with the words “officially valid document” the words and numbers “Permanent Account Number or Form No.60, as the case may be” shall be substituted;
- (B) the proviso shall be omitted;
- (iv) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- “(6) Where the client is a company, it shall for the purposes of sub-rule (1), submit to the reporting entity the certified copies of the following documents, namely:-
- (i) certificate of incorporation;
- (ii) Memorandum and Articles of Association;
- (iii) Permanent Account Number of the company;
- (iv) a resolution from the Board of Directors and power of attorney granted to its managers, officers or employees, as the case may be, to transact on its behalf;
- (v) one copy of an officially valid document containing details of identity and address, one recent photograph and Permanent Account Numbers or Form No.60 of the managers, officers or employees, as the case may be, holding an attorney to transact on the company’s behalf.”;
- (v) for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- “(7) Where the client is a partnership firm, it shall, for the purposes of sub-rule (1), submit to the reporting entity the certified copies of the following documents, namely:—
- (i) registration certificate;

- (ii) partnership deed;
 - (iii) Permanent Account Number of the partnership firm; and
 - (iv) one copy of an officially valid document containing details of identity and address, one recent photograph and Permanent Account Number or Form No.60 of the person holding an attorney to transact on its behalf.”;
- (vi) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- “(8) Where the client is a trust, it shall, for the purposes of sub-rule (1), submit to the reporting entity the certified copies of the following documents, namely:—
- (i) registration certificate;
 - (ii) trust deed;
 - (iii) Permanent Account Number or Form No.60 of the trust; and
 - (iv) one copy of an officially valid document containing details of identity and address, one recent photograph and Permanent Account Number or Form No.60 of the person holding an attorney to transact on its behalf.”;
- (vii) for sub-rule (9), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- “(9) Where the client is an unincorporated association or a body of individuals, it shall submit to the reporting entity the certified copies of the following documents, namely:—
- (i) resolution of the managing body of such association or body of individuals;
 - (ii) Permanent account number or Form No.60 of the unincorporated association or a body of individuals;
 - (iii) power of attorney granted to him to transact on its behalf;
 - (iv) one copy of an officially valid document containing details of his identity and address, one recent photograph and Permanent Account Number or Form No.60 of the person holding an attorney to transact on its behalf; and
 - (v) such information as may be required by the reporting entity to collectively establish the existence of such association or body of individuals.”;
- (viii) in sub-rule (14),-
- (i) in clause (i) for the words, figures and brackets “and sub-rule (15)”, the words, figures and brackets “, sub-rule (15) and sub-rule (17)” shall be substituted;
 - (ii) for clause (ia), the following clause shall be substituted, namely:-

“(ia) The guidelines issued under clause (i) shall also include appropriate-

 - (A) exemptions, limitations and conditions and alternate and viable means of identification, to provide account based services to clients who are unable to undergo biometric authentication; and
 - (B) relaxation for continued operation of accounts for clients who are unable to provide Permanent Account Number or Form No. 60;

owing to injury, illness or infirmity on account of old age or otherwise, and such like causes.”;
 - (iii) in clause (ii) for the words, figures and brackets “and sub-rule (15)”, the words, figures and brackets “, sub-rule (15) and sub-rule (17)” shall be substituted;

(ix) for sub-rule (15), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(15) Any reporting entity, which has been issued banking license by the Reserve Bank of India, at receipt of the Aadhaar number from his client may carry out authentication of the client's Aadhaar number using e-KYC authentication facility provided by the Unique Identification Authority of India upon receipt of the client's declaration that he is desirous of receiving any benefit or subsidy under any scheme notified under section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) in his account:

Provided that in cases where successful authentication of Aadhaar number using e-KYC facility has been carried out, the other officially valid document and photograph need not be submitted by the client.”;

(x) for sub-rule (16), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(16) Every reporting entity shall, where its client submits his Aadhaar number, ensure such client to redact or blackout his Aadhaar number through appropriate means where the authentication of Aadhaar number is not required under sub-rule (15).”;

(xi) for sub-rule (17), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(17) (i) A client already having an account based relationship with a reporting entity, shall submit his Permanent Account Number or Form No.60, on such date as may be notified by the Central Government, failing which the account shall temporarily cease to be operational till the time the Permanent Account Number or Form No. 60 is submitted by the client:

Provided that before temporarily ceasing operations for an account, the reporting entity shall give the client an accessible notice and a reasonable opportunity to be heard.

Explanation.— For the purpose of this clause, “temporary ceasing of operations” in relation an account means the temporary suspension of all transactions or activities in relation to that account by the reporting entity till such time the client complies with the provisions of this clause;

(ii) if a client having an existing account based relationship with a reporting entity gives in writing to the reporting entity that he does not want to submit his Permanent Account Number or Form No.60, as the case may be, the client’s account with the reporting entity shall be closed and all obligations due in relation to the account shall be appropriately settled after establishing the identity of the client in the manner as may be determined by the regulator.’;

(xii) for sub-rule (18), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(18) In case of officially valid document furnished by the client does not contain updated address, the following documents shall be deemed to be officially valid documents for the limited purpose of proof of address:-

- (a) utility bill which is not more than two months old of any service provider (electricity, telephone, post-paid mobile phone, piped gas, water bill);
- (b) property or Municipal tax receipt;
- (c) pension or family pension payment orders (PPOs) issued to retired employees by Government Departments or Public Sector Undertakings, if they contain the address;
- (d) letter of allotment of accommodation from employer issued by State Government or Central Government Departments, statutory or regulatory bodies, public sector undertakings, scheduled commercial banks, financial institutions and listed companies and leave and licence agreements with such employers allotting official accommodation:

Provided that the client shall submit updated officially valid document with current address within a period of three months of submitting the above documents.”.

[F. No. P.12011/24/2017-ES Cell-DoR]

BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

Note : The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* numbers G.S.R. 444 (E), dated the 1st July, 2005 and subsequently amended *vide* G.S.R. 717 (E), dated the 13th December, 2005, G.S.R. 389 (E), dated the 24th May, 2007, G.S.R. 816 (E), dated the 12th November, 2009, G.S.R. 76(E), dated the 12th February, 2010, G.S.R. 508(E), dated the 16th June, 2010, G.S.R. 980 (E), dated the 16th December, 2010, G.S.R. 481 (E), dated the 24th June, 2011, G.S.R. 576(E), dated the 27th August, 2013, G.S.R. 288(E), dated the 15th April, 2015, G.S.R. 544(E), dated the 7th July, 2015, G.S.R. 693(E), dated the 11th September, 2015, G.S.R. 730(E), dated the 22nd September, 2015, G.S.R. 882 (E), dated the 18th November, 2015, G.S.R. 347(E), dated the 12th April, 2017, G.S.R. 538(E), dated the 1st June, 2017, G.S.R. 1038(E), dated the 21st August, 2017, G.S.R. 1057(E), dated the 23rd August, 2017, G.S.R. 1300(E), dated the 16th October, 2017, G.S.R. 1318 (E), dated the 23rd October, 2017, G.S.R. 1506(E), dated the 12th December, 2017, G.S.R. 456(E) dated 16th May 2018 and G.S.R. 1078(E) dated the 31st October, 2018.